न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

. निगरानी प्रकरण क्र......./17

R 1406-II-17

रूगनाथ आ.कमल सिंह आयु वयस्क
कृषक व निवासी ग्राम सेमरादांगी
तहसील व जिला सीहोर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. कैलाश सिंह आ.मोतीलाल आयु वयस्क
2. महेश कुमार आ.रामचरण आयु वयस्क
3. सुरेन्द्र कुमार आ.रामचरण आयु वयस्क
4. सुमंत्रा बाई आ.रामचरण आयु वयस्क
5. सोना बाई पुत्री रामचरण आयु वयस्क
6. देवकी बाई पत्नी रामचरण आयु वयस्क
7. तुलसी बाई बेवा गजराज सिंह आयु वयस्क
8. बसंती बाई पुत्री गजराज सिंह आयु वयस्क
9. मोतीलाल आ.हजारीलाल आयु वयस्क
10. जसवंत सिंह आ.कमल सिंह आयु वयस्क
11. भुजबल सिंह आ.कमल सिंह आयु वयस्क
12. मोहन आ.कमल सिंह आयु वयस्क
13. सोदरी बाई आ.कमल सिंह आयु वयस्क
14. सुशीला बाई आ.कमल सिंह आयु वयस्क
15. ताराबाई आ.कमल सिंह आयु वयस्क
16. अयोध्या बाई आ.कमल सिंह आयु वयस्क
17. प्रभुलाल आ.मुंशीलाल आयु वयस्क
18. ज्ञान सिंह आ.मुंशीलाल आयु वयस्क
19. लक्ष्मीनारायण आ.मुंशीलाल आयु वयस्क
20. इंदर सिंह आ.नारायण सिंह आयु वयस्क
21. कृपाल सिंह आ.नारायण सिंह आयु वयस्क
22. रामेश्वर आ.गजराज सिंह आयु वयस्क
23. हुकुम सिंह आ.ज्ञानसिंह आयु वयस्क

सभी निवासी ग्राम सेमरादांगी
तहसील व जिला-सीहोर म.प्र. ....प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 [illegible]
आदेश दिनांक [illegible]/05/2017 जो [illegible]
104/अ/27/2015-16 कैलाश सिंह [illegible]
में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीहोर द्वारा पारित [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1406–दो/17 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 एल0 कौशल उपस्थित होकर तहसीलदार सीहोर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 104/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 2.5.2017 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता कमांक 2 लगायत 23 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–178 के अंतर्गत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि निगरानीकर्ता व उत्तरदातागण एक ही परिवार के ग्राम सेमरादांगी स्थित पैत्रिक संपत्ति 15 किता के स्वामी है जिसमें उत्तरदाता कमांक 1 ने अपना हिस्सा 19 पैसे बताते हुये बंटवारा कब्जे के हिस्से से बंटवारा कराकर अपना नाम कराने हेतु प्रस्तुत किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर निगरानीकर्ता व उत्तरदाता कमांक –2 से 23 को सूचना पत्र जारी किये गये जिसमें प्रथम बार जारी किये गये सूचना पत्रों अनावेदकगण दूसरे–दूसरे ग्रामों में रहना बताते हुये अदम तामील प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः चस्पा द्वारा तामील कराने हेतु भरोए पुनः पहले ही पूर्व के पते ग्राम सेमरादांगी के निवास पर ही सभी	

को सूचना पत्र जारी किये गये है। आवेदक अधिवक्ता का मुख्यरूप से तर्क यह रहा है कि अनावेदकगण को तामील नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी से फर्द बटान आहूत करने से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनावेदक–2 लगायत 23 तक को सूचना न होने पर बल दिया गया है, प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिवक्ता द्वारा सूचना पत्रों की एक भी प्रति प्रमाणीकरण हेतु संलग्न नहीं की है जिससे से यह प्रमाणित हो सके कि अनावेदक दूसरे ग्रामों में निवास करते हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क बलहीन होने से मानने योग्य नहीं है। अतः तहसीलदार द्वारा फर्द बटान आहूत करने में कोई त्रुटि नहीं की है। तहसीलदार सीहोर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 104/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 2.5.2017 स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य